FAX/E-mail/Speed Post

पत्रांक–14/मु०13–132/2015 –681
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कमलेश झा,
उप निदेशक, (उच्च शिक्षा)

सेवा में,

कुलसचिव,
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय,
भागलपुर।

पटना, दिनांक— 29/4/15

विषयः– सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–9777/2014 डॉ0 विनोद कुमार वर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–9777./2014 डॉ0 विनोद कुमार वर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से सम्बंधित वाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है।

वादी एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, जमालपुर कॉलेज, जमालपुर में दिनांक 05.04.1991 से कार्यरत है। वादी की प्रोन्नति रीडर के पद पर दिनांक 05.04.1999 के प्रभाव से विश्वविद्यालय के द्वारा दी गयी है। व्याख्याता का कुल 54 (चौवन) पद स्वीकृत है। नियमानुसार स्वीकृत पद का एक तिहाई 18 (आठारह) पद ही प्रोन्नति के लिए अनुमान्य होगें।

इस विषय में अठारहवॉ पद दिनांक 09.05.1996 को ही भर दिया गया है अर्थात वादी के लिए पद नहीं बचता है।

अतः अनुरोध है कि इस वाद के संबंध में एक विस्तृत एवं सुस्पष्ट प्रतिवेदन विभाग को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। विदित हो कि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध है तथा कभी भी सुनवाई हो सकती है। आपके प्रतिवेदन के अभाव में यदि सरकार का पक्ष माननीय न्यायालय में नहीं रखा गया तथा कोई प्रतिकूल निर्णय हुआ तो इसकी सारी जबावदेही आपकी होगी।

विश्वासभाजन,

29/4/15
(कमलेश झा)
उप निदेशक, (उच्च शिक्षा)

manu jee